

**राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम**  
National Cooperative Development Corporation  
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक संस्था  
A Statutory Corporation under Ministry of Cooperation, Govt. of India  
क्षेत्रीय निदेशालय, पुणे Regional Directorate, Pune

प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: श्री गिर्राज अग्निहोत्री, क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी 5, बी.जे. रोड, महाराष्ट्र सहकारी संघ भवन, साधु वासवानी चौक, होटल वुडलैंड के निकट, पुणे, महाराष्ट्र - 411001 फोन नंबर) : 020-26127049(, +91-9936754723, +91-9628096230 ई-मेल आईडी : [ro.pune@ncdc.in](mailto:ro.pune@ncdc.in)

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना (सिक्क्योरिटी इंटरैस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के उपबंध सहित)**

यह सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संपत्तियाँ, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक) आरोपित हैं तथा जिनका प्रतीकात्मक कब्जा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/NCDC) के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, दिनांक 22/05/2026 को "जहाँ है जैसा है आधार पर, जो है जैसा है आधार पर, जो कुछ भी है तथा बिना किसी प्रत्यावर्तन के" ईनीलामी के माध्यम से बेची जाएगी-, ताकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता संगठन, अध्यक्ष एवं बंधककर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि की वसूली की जा सके।

उधारकर्ता संगठन, निदेशकों एवं बंधककर्ताओं का नाम	बिक्री/नीलामी हेतु सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण				
<b>उधारकर्ता:</b> श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, आदिनाथनगर, शेलगांव भालवणी, पोस्ट जेऊर, तहसील करमाला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र - 413202  <b>अध्यक्ष:</b> श्री नारायण गोविंदराव पाटिल मोबाइल: +91-7887429999  <b>प्रबंध निदेशक:</b> श्री अरुण डी. बागनवार मोबाइल: +91-7083170750, +91-9158602911	1. ग्राम शेलगांव, तहसील करमाला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र				
	क्रम सं.	गाट सं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर	बंजर भूमि हेक्टेयर	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर(7/12)
	1	66/1+2	1.44		1.44
	2	66/3	0.37		0.37
	3	67/1	6.22		6.22
	4	67/2	2.08		2.08
	5	68	7.76	0.05+0.04	7.85
	6	69	7.40	0.23	7.63
	7	71/1	2.50	0.28NA	2.78
	8	71/2	2.78		2.78
	9	71/3	2.79	0.09	2.88
	10	74/1	1.26	0.02	1.28
	11	74/2	1.27		1.27
	12	74/3	1.27		1.27
	13	74/4	1.89	0.02	1.91
	14	74/5	1.90		1.90
	15	75	8.30	0.10	8.40
	16	76/4	0.52	0.02	0.54
	<b>कुल (i)</b>		<b>49.75</b>	<b>0.85</b>	<b>50.60</b>
	2. ग्राम भालवणी, तहसील करमाला, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र				
	1	152/2	3.71		3.71
	2	153	3.65		3.65
	3	155	2.45		2.45
	4	156	4.06		4.06
	5	157	1.01		1.01

	7	159	3.48		3.48
	8	160/1	9.90	0.64	10.54
	9	161/2/A	8.88	0.27	9.15
	10	162/3	1.14	0.03	1.17
	11	163/1	2.08		2.08
	<b>कुल क्षेत्रफल (ii)</b>		<b>44.20</b>	<b>0.94</b>	<b>45.14</b>
	<b>कुल योग =(i)+(ii)</b>			<b>95H74R</b>	
	<p>उक्त सभी भूमि के साथ उनसे संबंधित सभी उपभोगाधिकार (easements) सहित, उन पर स्थित एवं/या भविष्य में निर्मित होने वाले सभी भवन/संरचनाएँ (वर्तमान एवं भावी), उनसे संबंधित सभी स्थायी फिटिंग्स एवं फिक्स्चर (वर्तमान एवं भावी), तथा वहाँ स्थित शुगर यूनिट, डिस्टिलरी, को-जनरेशन पावर प्लांट, शुगर मिल आदि के समस्त संयंत्र एवं मशीनरी (वर्तमान एवं भावी), जो पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं या पृथ्वी से जुड़े किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से संलग्न हैं, भी सम्मिलित होंगे।</p>				
<b>मांग सूचना की तिथि एवं राशि</b>	<p><b>मांग सूचना दिनांक एवं राशि:</b> दिनांक 15.12.2023 की मांग सूचना के अनुसार राशि ₹63,76,33,416/- तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार देय हैं। उधारकर्ता द्वारा एनसीडीसी को देय बकाया राशि दिनांक 11.03.2026 तक ₹85,12,75,464/- है, जिस पर आगे भी ब्याज एवं अन्य प्रभार देय रहेंगे।</p>				
<b>कब्जा तिथि एवं कब्जे का प्रकार</b>	दिनांक 13.02.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)				
<b>अरक्षित मूल्य</b>	₹122,20,00,000/- (रुपये एक सौ बाईस करोड़ बीस लाख मात्र)				
<b>बयाना राशि (.डी.एम.ई)</b>	₹12,22,00,000/- (रुपये बारह करोड़ बाईस लाख मात्र)				
<b>बोली वृद्धि मूल्य</b>	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र)				
<b>ई-नीलामी की तिथि एवं समय</b>	दिनांक 22.05.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे तक				
<b>निरीक्षण की तिथि एवं समय</b>	दिनांक 18.05.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक				
<p>बिक्रीबोली प्रक्रिया केवल वेबसाइट/ <a href="https://sarfaesi.auctiontiger.net">https://sarfaesi.auctiontiger.net</a> के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक बार 5 मिनट का असीमित विस्तार (extension) प्रदान किया जाएगा।</p>					

### नियम एवं शर्तें (TERMS & CONDITIONS)

- सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री “जैसा है जहाँ है, जैसा है जो है, जो भी है और बिना किसी प्रत्यावर्तन अधिकार के (As is where is, As is what is, whatever there is and without recourse)” आधार पर की जाएगी तथा इन्हें आरक्षित मूल्य (Reserve Price) से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
- बोली प्रस्तुत करने से पूर्व बोलीदाता बिक्री का विवरण, नियम एवं शर्तें, बोली प्रपत्र तथा बोली प्रक्रिया का विवरण ऊपर दिए गए पते/नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। ई-नीलामी में भाग लेने पर बोलीदाता सुरक्षित परिसंपत्ति की स्थिति, विवरण अथवा स्वामित्व से संबंधित सभी आपत्तियों को त्याग (waive) करते हैं।
- बोलीदाता सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित अधिकार, स्वामित्व, हित, भार (encumbrances) एवं देयताओं के संबंध में स्वयं संतुष्ट होंगे। बोली प्रस्तुत करने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- सशर्त (conditional) बोलियाँ अमान्य मानी जाएँगी। बोली प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अन्य भार (Encumbrances): MSC बैंक का ऋण – राशि अज्ञात है, तथापि बोलीदाता स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच करेंगे। ई-नीलामी सूचना एनसीडीसी की कोई अभ्यावेदन (representation) नहीं मानी जाएगी। सुरक्षित परिसंपत्तियाँ सभी विद्यमान एवं भविष्य के ज्ञात/अज्ञात भारों सहित बेची जा रही हैं। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तृतीय पक्ष के दावे/अधिकार/देयताओं के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण शुल्क तथा सभी संबंधित व्यय केवल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

7. सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित सभी वैधानिक एवं अवैधानिक देयताएँ, कर, दरें, आकलन एवं अन्य शुल्क क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. बोलीदाता ऑनलाइन बोली प्रशिक्षण/सहायता M/s E-Procurement Technologies Ltd. (AuctionTiger) से प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत नियम <https://sarfaesi.auctiontiger.net> एवं <https://www.ncdc.in> पर उपलब्ध हैं।
9. ईएमडी (EMD) तथा केवाईसी दस्तावेज 21.05.2026 को सायं 06:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाने चाहिए।
10. बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होना चाहिए तथा बोली वृद्धि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) के गुणकों में होगी।
11. ईएमडी का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से खाता संख्या 32164052874, IFSC: SBIN0004298, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल ब्रांच, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में किया जाएगा।
12. सफल बोलीदाता को अंतिम बोली राशि, जैसा कि ई-नीलामी में उद्धृत है, बिना किसी नई शर्त के जमा करनी होगी। बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा करना होगा। निर्धारित समय में 25% राशि जमा न करने पर बिना किसी सूचना के ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
13. शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर या उनके द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी भी विस्तारित समय के भीतर जमा करनी होगी। अन्यथा संपूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति पुनः नीलाम की जाएगी।
14. बिक्री पुष्टि केवल संतोषजनक केवाईसी सत्यापन एवं औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर ही जारी की जाएगी। जब्ती की स्थिति में डिफॉल्टर बोलीदाता का संपत्ति या राशि पर कोई दावा नहीं रहेगा।
15. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना किसी ब्याज, लागत, व्यय या अन्य शुल्क के बिक्री प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
16. विक्रय प्रमाणपत्र (Sale Certificate) केवल पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने एवं बिक्री की पुष्टि के पश्चात ही तथा केवल सफल बोलीदाता के नाम पर ही जारी किया जाएगा, किसी अन्य नाम पर नहीं।
17. बिक्री SARFAESI अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगी।
18. सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के स्थगन आदेश की स्थिति में नीलामी बिना किसी सूचना एवं क्षतिपूर्ति के स्थगित या रद्द की जा सकती है।
19. बोली, ईएमडी, पात्रता या शर्तों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। एनसीडीसी बिक्री को रद्द कर पुनः नीलामी कर सकता है।
20. केवल इच्छुक बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भाग लेने की अनुमति होगी। प्राधिकरण पत्र बोली के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
21. उधारकर्ता संगठन, उसके निदेशक एवं बंधककर्ता (mortgagor) को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
22. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
23. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा नीलामी को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है, बिना कोई कारण बताए।
24. सफल बोलीदाता को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-IA के अंतर्गत 1% टीडीएस का भुगतान करना होगा तथा उसका प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

#### **वैधानिक सूचना (Statutory Notice)**

30 दिनों की बिक्री सूचना, नियम 8(6) सह पठित नियम 9(1), सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत उधारकर्ता संगठन/निदेशक/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त राशि सहित अद्यतन ब्याज एवं अन्य व्यय निर्धारित ई-नीलामी तिथि से पूर्व जमा करें, अन्यथा उक्त संपत्तियों की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि ब्याज एवं लागत सहित वसूली जाएगी।

#### **विशेष निर्देश एवं सावधानी (SPECIAL INSTRUCTION & CAUTION)**

अंतिम मिनट/सेकंड में बोली लगाने से बचें। नेटवर्क विफलता, बिजली कटौती आदि जैसी तकनीकी समस्याओं के लिए एनसीडीसी या सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होंगे। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे बैंकअप पावर सप्लाई आदि की उचित व्यवस्था करें ताकि नीलामी में भागीदारी सुचारु रूप से हो सके।

हस्ता/-

